



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 18.11.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना पलिया पुलिस द्वारा, फर्जीवाड़ा करके वाहन चलाने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, एक ही नंबर की 02 मैजिक लोडर गाड़ियां बरामद



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/ वारंटी/संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 18.11.21 को थाना पलिया पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त निमिष गुप्ता पुत्र दीपक गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक ही नंबर UP 31 T 5327 के दो मैजिक लोडर वाहन बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना पलिया पर मु0अ0सं0 436/21 धारा 411/419/420 भादवि पंजीकृत करके अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

अभियुक्त का नाम व पता-

1. निमिष गुप्ता पुत्र दीपक गुप्ता नि0 मो0 अहीरान 1 कस्वा व थाना पलिया जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

- 1.उ0नि0 शिवाजी दूबे थाना पलिया जनपद खीरी
- 2.हे0का0 रतिराम
- 3.का0 आकाश सिंह

थाना फरधान पुलिस द्वारा, वांछित अभियुक्त उमेश उर्फ छोटू उर्फ पीलीभीत को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटियों/संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 18.11.21 को थाना फरधान पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 348/21 धारा 354/506 भादवि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त उमेश उर्फ छोटू उर्फ पीलीभीत पुत्र पंकज ऊर्फ पहाड़ी निवासी ग्राम बेरिहातारपुर थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

थाना मितौली पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा कारतूस बरामद करके अभियुक्त रामहेत उर्फ महतिया को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मितौली पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 जिंदा कारतूस बरामद करके अभियुक्त रामहेत उर्फ महतिया पुत्र देवी दयाल निवासी उमरपुर थाना मितौली जनपद खीरी को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

रामहेत उर्फ महतिया पुत्र देवी दयाल निवासी उमरपुर थाना मितौली जनपद खीरी

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 412/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी

- 1-एक अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर
- 2-एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

थाना सिंगाही पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेलते हुए 06 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंगाही पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेलते हुए 06 नफर अभियुक्त 1. लल्लू राम मौर्या पुत्र रघुनन्दन लाल निवासी बार्ड नं0 12 कस्बा व थाना सिंगाही जनपद खीरी व 05 अन्य नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 52 अदद ताश के पत्तें व 540 रुपये नगद बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना तिकोनिया पर मु0अ0सं0 310/21 धारा 13 जुआं अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 121 लीटर अवैध शराब सहित 09 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय टुल के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **121 लीटर अवैध कच्ची शराब, 02 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 09 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **09 अभियोग** पंजीकृत किया गया।

क्र०सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना मैगलगंज	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना मितौली	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना सिंगाही	18 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना पलिया	18 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना हैदराबाद	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना पसगवां	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
7.	थाना ईसानगर	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
8.	थाना फूलबेहड़	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
9.	थाना मैलानी	05 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	121 लीटर	09 अभियुक्त गिरफ्तार